:: आदेश ::

राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–2/2019–वे0आ0–1–240/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 20 मार्च 2019 द्वारा ऐसे पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को जिनके सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित हुये है, को दिनांक 01 जनवरी 2019 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर बैंक में कार्यरत पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को जिनके सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को **शासनादेश संख्या–2/2019–वे0आ0–1–240/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 20 मार्च 2019 के कम में दिनांक 01.01.2019 से उनके मूल वेतन का 12 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

1–उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.16 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जाएगा।

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : C-2 /स्थापना/मं0भत्ता/2018–19 दिनांक :- 02.04.2019

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त क्षेत्रीय/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।

2– प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

3– वरिष्ठ प्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

4– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

5– उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल/कम्पयूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–10/2018–वे0आ0–1–901/दस–2018–8(एम)/2016 दिनांक 02 नवम्बर 2018 के क्रम में परिपत्र सी–69/स्थापना/मं0भत्ता/2018–19 दिनांक 14.11.2018 द्वारा बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को संशोधित दरो से महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, पुनः राज्य सरकार द्वारा **शासनादेश संख्या–4/2019–वे0आ0–1–316/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 27 मार्च 2019** द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0(2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नही हुये है को **दिनांक 01 जनवरी 2019** से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः बैंक में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जो बैंक आदेशांक 24607/स्था0/2010–11 दिनांक 26.05.2011 द्वारा लागू छठे वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को **शासनादेश संख्या–4/2019–वे0आ0–1–316/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 27 मार्च 2019 के क्रम में दिनांक 01.01.2019 से उनके मूल वेतन का 154 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

1– उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियो को अनुमन्य वेतन बैन्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जाएगा।

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : C–3 /स्थापना/मं0भत्ता/2018–19 दिनांक : 02.04.2019

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त क्षेत्रीय/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।

2– प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

3– वरिष्ठ प्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

4– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

5– उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल/कम्पयूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–11/2018–वे0आ0–1–902/दस–2018–8(एम)/2016 दिनांक 02 नवम्बर 2018 के क्रम में परिपत्र संख्या–सी–68/स्थापना/मं0भत्ता/2018–19 दिनांक 14.11.2018 द्वारा बैंक कर्मचारियों को संशोधित दरो से महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, पुनः राज्य सरकार द्वारा **शासनादेश संख्या–5/2019–वे0आ0–1–317/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 27 मार्च 2019** द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नही हुए है को महंगाई भत्ते का **दिनांक 01.01.2019** से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः **शासनादेश संख्या–5/2019–वे0आ0–1–317/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 27 मार्च 2019** के क्रम में बैंक के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियो जिनके द्वारा बैंक आदेशांक–24607/स्थापना/2010–11 दिनांक 26.05.2011 द्वारा लागू छठे वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नही हुए है, को संशोधित दर पर महगांई भत्ता निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जब से देय है	**मंहगाई भत्ते की मासिक दर**
01–01–2019	**वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 295 प्रतिशत**

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है, से होगा।

1–ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है अर्थात दिनांक 01.01.96 के पूर्व के वेतनमानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बैंक के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने दि0 01.1.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिया है, को दिनांक 01.01.2019 से संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की कोई स्वीकृति उपर्युक्त **शासनादेश संख्या–5/2019–वे0आ0–1–317/दस–2019–8(एम)/2016 दिनांक 27 मार्च 2019** में नही प्रदान की गई है।

2–इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

3–मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम 1 रू0 में पूर्णांकित करते हुये भुगतान किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : C – 4 /स्थापना/मं0भत्ता/2018–19 दिनांक : 02.04.2019

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त क्षेत्रीय/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2– प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3– वरिष्ठ प्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
4– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
5– उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल/कम्पयूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक